शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के नामांकन के संबंध में दिशानिर्देश :–

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026–27 में पर Online नामांकन किया जाना है। उक्त नामांकन हेतु दिशानिर्देश निम्नवत् है :–

(1) पात्रता मानदंड :–

1. अलाभकारी समूह :–

अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ट्रांसजेन्डर सहित) एवं अल्पसंख्यक समूह जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/– (एक लाख) रूपये तक हो।

2. कमजोर वर्ग :–

कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियाँ/समुदाय के बच्चे जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/–(दो लाख) रूपये से कम हो।

3. अनाथ बच्चे :–

अनाथ बच्चे से अभिप्रेत है, जिनके माता–पिता नहीं है।

4. आयु की सीमा :–

01 अप्रैल 2026 तक 6+ वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। (02 अप्रैल 2018 से 01 अप्रैल 2020 के बीच जन्म लिए बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं।)

Scanned with OKEN Scanner

(2) आवश्यक दस्तावेज :–

1. जन्म प्रमाण–पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनबाड़ी अभिलेख/माता–पिता या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र।
2. जाति प्रमाण–पत्र (अनाथ बच्चों के संदर्भ में अनिवार्य नहीं)
3. आय प्रमाण–पत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं)
4. निवास प्रमाण–पत्र (Domicile Certificate)/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल (अनाथ बच्चों के संदर्भ में अनिवार्य नहीं)।

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

5. ट्रांसजेन्डर से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र।
6. अनाथ बच्चों के लिए उनके अभिभावक/संस्था के प्रधान द्वारा समर्पित अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट (Undertaking certificate)। अनाथ बच्चों के मामलों में माता–पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
7. माता–पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात् बच्चे का आधार कार्ड)।
8. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।
9. माता–पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर
10. बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (Size 50 kb)

(3) आवेदन प्रक्रिया :–

1. ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। माता–पिता/अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

2. आवेदन करने के समय माता–पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। *(बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार को पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।)*

3. पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका USER ID उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।

4. इस USER ID के द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् बच्चे के माता–पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(4) विद्यालय चयन प्रक्रिया :–

1. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल का चयन करने के लिए विकल्प पर जाएँगे।

2. आवेदन करने वाले माता–पिता/अभिभावक अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों का विकल्प देख सकेंगे। साथ ही आवेदक द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

3. ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पाँच विद्यालय का चयन करेंगे।

4. चयनित स्कूल से 01 कि.मी. के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 01 से 03 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। 03 से 06 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीटें उपलब्ध रहती हैं, तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बच्चे के निवास स्थान से स्कूल की सही दूरी को यथा संभव सटीकता से चुने। इस दूरी की पुष्टि ऑनलाईन आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा की जायेगी। प्रवेश केवल सफल सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप से दिया जायेगा। आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार की गलत घोषणा के कारण आवेदन किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है।

(5) प्रखंड शिक्षा कार्यालय स्तर पर सत्यापन :–

1. आवेदक सभी दस्तावेजों की छायाप्रति (ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी) संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ विद्यालय अवर निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु दिए गए समय सारणी के आलोक में जमा करेंगे।

2. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक लॉगिन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदित छात्रों की सूची देख सकेंगे। आवेदित छात्रों के निवास स्थान एवं विकल्प में दिए गए विद्यालयों के बीच की दूरी का सत्यापन करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

3. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, आवेदक के द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज की अंतिम रूप से जांच कर सत्यापति सही आवेदन को Randomization किये जाने हेतु सहमति देंगे।

4. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, Randomization के पश्चात् बच्चों के विद्यालय प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे।

5. आवेदन को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है :–

i. दस्तावेज संबंधित अनियमितता

ii. पात्रता न होना,

iii. एक ही दस्तावेज के साथ पुनः आवेदन,

(6) ऑनलाईन सीट आवंटन :–

1. विद्यालय आवंटन Randomization के माध्यम से किया जायेगा।

2. विकलांग बच्चों (CWSN) के लिए 5% सीटें आरक्षित होगी।

3. विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जाँच के पश्चात् Randomization हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया Randomization के माध्यम से की जाएगी।

(7) चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश :–

1. विद्यालय आवंटित छात्रों का निर्धारित समय–सीमा के अंदर संबंधित विद्यालय द्वारा नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। विद्यालय का दायित्व होगा कि सभी दस्तावेजों का मिलान ऑनलाईन किये गए आवेदन से कर बच्चों को प्रवेश देंगे।

2. विद्यालय आवंटित छात्रों/अभिभावक के साथ विद्यालय किसी भी प्रकार का भेद–भाव नहीं करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(8) जिला शिक्षा कार्यालय की जिम्मेदारी :–

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से विद्यालय का Intake Capacity और School Basic Information update कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) आवेदन के निर्धारित समय–सीमा के अनुसार बच्चों के आवेदन हेतु सभी माध्यम से प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जाँच के पश्चात् Randomization हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया Randomization के माध्यम से की जाएगी।

4. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का सत्यापन, आवेदन की लंबित स्थिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे।

5. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला लॉगिन के माध्यम से जिला स्तरीय क्रियान्वयन की स्थिति देख सकेंगे।

(9) विद्यालय की जिम्मेदारियाँ :–

1. संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय दिये गए समय–सीमा के अंदर Intake Capacity और School Basic Information update करेंगे एवं यदि कोई त्रुटि है तो उसकी सुधार करेंगे।

2. संबंधित निजी विद्यालय के प्राचार्य आवंटित छात्रों का नामांकन करेंगे और उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित एवं ऑनलाईन आवंटित छात्रों का नामांकन लेने से विद्यालय द्वारा इन्कार नहीं किया जाएगा।

4. नामांकन हेतु आवंटित छात्रों/माता–पिता/अभिभावक से संबंधित विद्यालय के प्राचार्य दूरभाष या अन्य माध्यमों से सम्पर्क स्थापित कर नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो संबंधित विद्यालय के प्राचार्य उसे पोर्टल पर अपडेट (update) करेंगे।

6. विद्यालय RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित बच्चों के साथ किसी तरह का भेद–भाव नहीं करेगा।

(विक्रम बिरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

Scanned with OKEN Scanner